1079/10

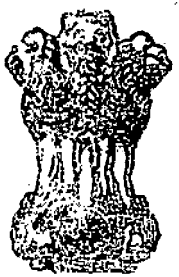

खंड ८ संख्या १८

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बृहस्पतिवार, तिथि ६ अक्टूबर, १९५५

Vol. VIII No. 18

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Thursday, the 6th October, 1955.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६ ।

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price—Annas 6.*]

उपाध्यक्ष—अब कोई प्रश्न नहीं लिया जायगा।

पंडित विनोदानन्द झा—सत्र का आज अंतिम दिवस है और जब माननीय मंत्री का आश्वासन था कि आज उत्तर देंगे तो मैं समझता हूं कि यदि उत्तर तैयार है तो उसे उपस्थित करने की आज्ञा आपको देनी चाहिये।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह सही है कि मैंने आज उत्तर देने का आश्वासन दिया था लेकिन यह मेरी गलती है कि आज उत्तर तैयार नहीं है।

श्री फैजुल रहमान—ताहिर साहब के भाषण पर माननीय राजस्व मंत्री ने यह वादा किया था कि कम्युनल टेंशन के सम्बन्ध में मैं एक स्टेटमेंट सभा के समक्ष रखूंगा।

उपाध्यक्ष—आज बहुत आवश्यक काम करना है और काम भी बहुत है इसलिये कोई दूसरी बात हम सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री फैजुल रहमान—यह एक अहम सवाल है और अगर आप मेरी बातों को सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं प्रोटेस्ट की शक्ल में हाउस से बाहर चला जाऊंगा।

उपाध्यक्ष—अभी माननीय सदस्य बैठ जायँ, मैं पीछे सुनूंगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जितने विद्यार्थी एग्रीकल्चरल स्कूलों में लिये जाते हैं उनके अनुपात में एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर खोले जायं ताकि सभी लड़कों को एक्सटेंशन ट्रेनिंग उपलब्ध हो सके?

श्री बीरचन्द पटेल—अधिक एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर खोलने का जो प्रश्न है उसके विषय में मुझे यह कहना है कि यह स्टेट गवर्नमेंट की क्षमता के बाहर है। यह काम बिना केन्द्रीय सरकार की सहायता के नहीं हो सकता है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है कि उतने ही लड़के लिये जायं जिनको आप इसमें ले सकें। इसके लिये काफी सूचना दे दी गई है। १ अक्तूबर के बाद से अभी तक काफी सूचना दे दी गई है कि अभी भी उन लोगों के लिये गुंजाइश है कि अलटरनेटिव जगहों पर अपने भाग्य को आजमावें क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि ६० प्रतिशत लोग, योग्यता के अनुसार (शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब के लिये रिजर्व रख कर) एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर में भेजे जायंगे। बकीये लोग अपनी जवाबदेही पर पढ़ सकते हैं।

प्रश्न संख्या ३२४ एवं ३२५ के सम्बन्ध में।

DISCUSSION REGARDING SHORT NOTICE QUESTION NOS. A-324 AND A-325.

उपाध्यक्ष—मैंने इस प्रश्न को ऐज ए स्पेशल केस एलाउ किया है।

Shri FAIZUL RAHMAN : My question has not been answered and I have no alternative but to walk out.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : The thing is that I had promised to answer the question but because today was the date fixed for the Revenue Department questions, this file did not come to me. It is not a fact that I deliberately avoided it. I would, therefore, advise him not to take this step, because that will create a wrong impression.

Shri FAIZUL RAHMAN : What will be the wrong ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—उस दिन भी एडजोर्नमेंट मोशन पर ऐसा ही जवाब दिया गया था।

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : The point is this, that it will take me sometime to get the file from office. Suppose, I get the file at 5 P. M. after the business of the House, I would request you to sit for 15 minutes and I will answer this question.

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—हमें यह कहना है कि इस किस्म का जवाब अक्सर दिया जाता है। यह प्रश्न १० तारीख को आया तब जवाब दिया गया कि उत्तर तैयार नहीं है। फिर १७ तारीख के लिये रखा गया और उस दिन भी यही जवाब दिया गया कि उत्तर तैयार नहीं है। आज भी वही जवाब दिया जा रहा है। उम्मीद थी कि आज जवाब जरूर मिल जायगा, पर इस किस्म का जवाब देने से तो पता चलता है कि सरकार इसके लिये कुछ इम्पौर्टेंस नहीं अटैच करती है।

Shri FAIZUL RAHMAN : You may be remembering that while replying during the last budget session some points were raised by Mr. Tahir and the Revenue Minister declared that he had not then got the file with him and he assured the House that he would make a statement regarding Araria riot but unfortunately Government has failed to make any statement up till now—rather he replied to a question in an engineered way. So, I feel that whenever the question of Government reply on such matters crops up it is either avoided, or no direct reply is given. The Revenue Minister had promised to reply it today but he could not fulfil it yet. Even if he replies at 5 P. M. and if the answer is not satisfactory, it will not then be possible for us to request for special debate or anything like that. With all respect, I have to say that whenever such important questions of public importance in respect of the minority community have been raised in this House, Government have failed in its duty to provide the House with full information regarding the occurrences.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : Sir, because some statement has been made just now, I should be permitted to reply it.

What I had said is that the matter was being enquired into by the Commissioner of Bhagalpur Division, and so, I had said that the materials were being collected and that I would not be able to give satisfactory reply to every part of the question until full materials were collected. I had also said that the question related to the Political Department and I would be able to give full answer when the materials were available. Today, the position is that it is not the date fixed for the Political Department questions. The file did not reach my hand while I was at my residence. In the first place, there can be no question of avoiding the reply. In the second place, I am sorry to hear from my hon'ble friend that whenever there is a communal question, I avoid the reply. I, therefore, request you to fix 5 P. M. for discussion of this question, but I think that the objection which my friend has got in his view will not serve any useful purpose. He is free to do whatever he likes but I would request you to fix 5 P. M. for discussion of this question so that the hon'ble members may nave no grievance.

DEPUTY SPEAKER : There is already another business fixed for 5 P. M. So far as this question is concerned, the matter will be considered later. There is already time fixed for some other business to be taken up at 5 P. M. I am not prepared to allow further discussion on this issue. Very valuable time of the House is being wasted.

श्री त्रिवेणी कुमार—अभी जो कुछ श्री फैजुल रहमान ने कहा है उनका तजुर्बा सही है। इस सिलसिले में हमलोगों को भी काफी वाकफियत है कि माननीय मंत्री प्रश्नों का उत्तर देने का तो आश्वासन बहुत ही शीघ्र दे देते हैं लेकिन वह प्रायः कभी भी पूरा नहीं हुआ है। श्री रमेश झा ने जब एडजोर्नमेंट मोशन दिया था तो माननीय मंत्री ने कहा कि इसको अल्प सूचना कर देने से वे उत्तर मंगवा कर जवाब देंगे। लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। श्री बशिष्ठ नारायण सिंह के प्रश्न का भी उत्तर अभी तक नहीं मिला है। यह हमारे प्रीविलेज का सवाल है और हमको उम्मीद है कि समय पर उत्तर सरकार देने की कृपा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का कहना वाजिब है। जहां तक हो सके अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर यथाशीघ्र मिलना चाहिये। माननीय मंत्री जहां तक एकोमोडेट कर सकें उनको जरूर करना चाहिये और जिस प्रश्न के उत्तर देने के लिए वे कोई आश्वासन दें उसका उत्तर उचित समय पर दे दें।

श्री रमेश झा—यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है और इसलिए मुझे भी बोलने का थोड़ा-सा समय दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि.....

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति।

I am sorry, I cannot permit any hon'ble member to speak on this point. I have already decided this question.

स्थगन प्रस्ताव :

ADJOURNMENT MOTION :

पटना गोलीकांड के न्यायायिक जांच में सरकार द्वारा जनता के रुपये का अपव्यय।

SQUANDERING OF PUBLIC MONEY BY GOVERNMENT OVER THE JUDICIAL ENQUIRY OF PATNA FIRING.

उपाध्यक्ष—श्री रामानन्द उपाध्याय का जो ऐडजोर्नमेंट मोशन है वह उस ऐडजोर्नमेंट मोशन के जिसको उन्होंने १३ अक्तूबर को दिया था और जो रूल आउट किया गया था उसके सब्सटैंशियली आइडेन्टिकल है। मैं दोनों को पढ़ देता हूं।

"The colossal waste and squandering of public money at the rate of Rs. 5,000 a day over the Patna firing Judicial Enquiry without proper examination of its necessity and without proper sanction as revealed through a Press Report appearing in the Aryavarta of 18th October 1955 (cutting enclosed) and about which short notice questions had thrice been put to Government but Government failed to give reply to these short notice questions, viz., nos. 84-85, dated 26th September 1955, 3rd October 1955 and 11th October 1955".

The studied attempt on the part of Government to derogate from the privileges of the honourable members of this House in the matter of the exercise of their right of interpellation by withholding a reply or replies till now to questions sent on 26th September 1955, 3rd October 1955 and 11th October 1955 being short notice questions nos. 84 and 85."

That was the adjournment motion that came on the 13th October 1955.

श्री दारोगा प्रसाद राय—डिसएलाउ करने के पहले माननीय सदस्य का सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष—इस कोश्चन को मैंने एग्जामिन किया। मेरे सामने जो नोट था कि 'इट इज सब्सटैंशियली आइडेन्टिकल' उससे मैं ऐग्री नहीं करता हूं। पहला जो प्रश्न था वह इन्टरपोलेशन के बारे में था। अब जो यह ऐडजोर्नमेंट मोशन हाउस के सामने लाया गया है उसके बारे में उनको कहना चाहिए कि यह किस समय की घटना है। अगर माननीय सदस्य रूल नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। क्या यह रिसेन्ट अकरेन्स का है या दूसरे तरीके से नहीं लाया जा सकता था? इसलिए माननीय सदस्य सारी बातों को कहें।

*श्री रामानन्द उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐडजोर्नमेंट मोशन जो है बहुत सोच-समझ कर लाया गया है। पहले जो हमारा ऐडजोर्नमेंट मोशन आया था वह इस तरह से नहीं था। हमलोगों की पब्लिक में बहुत बदनामी हो रही है, इस गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है।